न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/00005

श्रीमती अनीसा पत्नी अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 09.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थिया अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कैथून की खसरा नम्बर 2026 की रकबा 1.21 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थिया बहैसियत काश्तकार करीब 30–35 वर्षो से निरन्तर काबिल चली आ रही है । प्रार्थिया उक्त आराजी पर निरन्तर काबिज होने के आधार पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार काश्तकार बन चुकी है ।

3. अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थिया के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थिया के शांतिपूर्ण

कब्जे में किसी भी प्रकार की बाधा व अवरोध उत्पन्न नहीं करे । उक्त भूमि को प्रार्थिया के अलावा अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को नियमन व आवंटित नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही उनके किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.10.2020 के द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.10.2020 से व्यथित होकर प्रार्थिया अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थिया का पिछले 30–35 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है और वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार कृषक बन चुकी है । प्रार्थिया अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना प्रकरण पूर्णतया प्रमाणित कर दिया था फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना अधिवक्ता नियुक्त किया था उन्होंने कोराना काल में तारीख पेशियों पर आने से मना कर दिया इसलिए वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये और न ही उनके वकील द्वारा उन्हें कोई सूचना दी गई । अपीलान्ट दिनांक 16.12.2020 को कोटा आये और उन्होंने प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी की तो पता चला कि निर्णय पारित कर दिया गया है जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी का काफी देरीना लगातार कब्जा काश्त है । वादी अपीलान्ट ने अपने पक्ष में वादग्रस्त आराजी के लिए हक घोषणा का दावा पेश किया था जिसमें धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । लगातार 30–35 वर्षों से वादी का कब्जा है । वादीगण के पिता का 60–70 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है । 11 बीघा का आवंटन पूर्व में किया जा चुका है । कानूनन वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हो चुके हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति वादी अपीलान्ट के पक्ष में है फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक है जिस पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादी

अपीलान्ट का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2020 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2061–64, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2061–64, फोटो प्रति नकल खसरा परिवर्तनशील संवत् 2059, 2060, 2061, 2069, 2070 तथा धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस एवं कुछ रसीदों की फोटो प्रतियॉ भी संलग्न हैं ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज है । इस प्रकार वादी अपीलान्ट ने सरकारी सिवायचक आराजी पर कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया है और अपने पक्ष के समर्थन में खसरा परिवर्तनशील और धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही की प्रतिया पेश की है। सरकारी सिवायचक आराजी पर कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है तद्नुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति वादी अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं पायी जाती है । धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करके बेदखली की कार्यवाही की जाती है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2020 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा